उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

आवास प्रमाणित

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय

हॉल नं० एस–1, सेक्टर–1(?), वसुन्धरा काम्पलेक्स,

वसुन्धरा गाजियाबाद 201012

SQMS

पत्र सं०- 1252 /सम्पत्ति नाजिर/ दिनांक- 20-2-16

सेवा मे,

मांग पत्र

पंजीकृत

श्री/श्रीमती/कुo :- SOHAN LAL SHARMA

पिता/पति का नाम :- BHAWANI DUTT

पता :- D-3223 INDIRA NAGAR

LUCKNOW,LUCKNOW,Uttar Pradesh,226016

विषय - मण्डोला विहार योजना (दिल्ली सहारनपुर रोड) गाजियाबाद में स्व वित्त पोषित सुपर हीलक्स बहुमंजिलीय आवासीय परियोजना 2015 के अन्तर्गत फ्लैट के सम्बन्ध में (पंजीकरण दि0 15.9.15 से 30.1.2016 तक)।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा पंजीकरण फार्म/चालान संख्या **4900170** द्वारा मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के **सेक्टर–7 में 3 BHK** फ्लैट हेतु स्व वित्त पोषित योजना में आन लाईन आवेदन किया गया था। परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन आपका आवेदन स्वीकार कर पंजीकृत कर लिया गया है। आपके द्वारा पंजीकरण धनराशि/**आवेदन शुल्क** के रूप में **रू0–86250.00** जमा किये गये है। फ्लैट की अनुमानित लागत **रू0–4300000.00** में पंजीकरण धनराशि **रू0–86000.00** समायोजित करने के उपरान्त शेष धनराशि का भुगतान निम्नानुसार परिषद खाते में जमा करने का कष्ट करें।

क्र0 सं0	किश्त संख्या	धनराशि	अन्तिम देय तिथि
1	प्रथम एकमुश्त	रू0– 550000.00	31.03.2016
2	प्रथम त्रैमासिक किश्त	रू0– 456875.00	30.06.2016
3	द्वितीय त्रैमासिक किश्त	रू0– 456875.00	30.09.2016
4	तृतीय त्रैमासिक किश्त	रू0– 456875.00	31.12.2016
5	चतुर्थ त्रैमासिक किश्त	रू0– 456875.00	31.03.2017
6	पंचम त्रैमासिक किश्त	रू0– 456875.00	30.06.2017
7	षष्टम् त्रैमासिक किश्त	रू0– 456875.00	30.09.2017
8	सप्तम् त्रैमासिक किश्त	रू0– 456875.00	31.12.2017
9	अष्टम् त्रैमासिक किश्त	रू0– 456875.00	31.03.2018

उक्त किश्तो का भुगतान ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, सेक्टर–4सी, वसुन्धरा गाजियाबाद के परिषद संग्रह खाता संख्या **52331171000074** अथवा ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, ट्रोनिका सिटी मण्डोला विहार गाजियाबाद के परिषद संग्रह खाता संख्या **11871131002609** में "**उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद**" **UPAVP GHAZIABAD** के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय तिथि तक बैंक कार्यदिवसो में जमा करना होगा तथा रसीद की अग्रिम प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी। जमा की रसीदो में आवेदन फार्म/चालान संख्या का उल्लेख अवश्य करें। (ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, सेक्टर–4सी, वसुन्धरा गाजियाबाद में RTGS/NEFT द्वारा भी धनराशि जमा की जा सकती है, शाखा का RTGS/NEFT NO-ORBC0105233 है। RTGS/NEFT द्वारा धनराशि जमा करने पर आपको अपने खाते की फोटो प्रति, यू0टी0आर0 संख्या, आवेदन फार्म/चालान संख्या, सम्पत्ति श्रेणी का अंकन करते हुए जमा की दिनांक के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में सूचना उपलब्ध करानी होगी, तभी आपकी जमा धनराशि का समायोजन आपके खाते में किया जाना सम्भव हो सकेगा)। किश्तो का विलम्ब से भुगतान करने पर 13.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से पूर्ण माह का अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।

आवेदक यदि इस पत्र के निर्गमन की तिथि से 03 माह के अन्दर आवंटन तथा प्रदेशन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है तो पंजीकरण धनराशि **रू0–86000.00** का 20 प्रतिशत जब्त करते हुए पंजीकरण/पात्रता निरस्त कर दी जायेगी एवं तीन माह के पश्चात् आवेदक के अनुरोध पर अथवा अदेयता

-: कब्जा हेतु आवश्यक निर्देश:-

1 फ्लैट के विरूद्ध जमा की गयी धनराशि की समस्त रसीदो की प्रति स्वप्रमाणित प्रस्तुत करें।
2 मा0 न्यायालय के आदेशो से भूमि प्रतिकर में वृद्धि अथवा अन्य किसी कारणो से उक्त मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदनुसार आपको भुगतान करना होगा एवं नियमानुसार सर्विस टैक्स, व्यापार कर आदि अतिरिक्त देय होगा।
3 प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाईटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
4 उक्त भवनो में भूतल पर उपलब्ध भूमि एव छत की भूमि पर कॉमन सर्विसेज के अर्न्तगत है, इस भूमि पर कब्जे का अधिकार किसी भी आवंटी को नहीं है।
5 आवंटित फ्लैट पर ऋणप्राप्तकर्ता (आवंटी) द्वारा ऋणदायी संस्था से रजिस्ट्री, कब्जा हेतु अनापत्ति पत्र / अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आवंटी द्वारा दिनांक .... तक जमा किये जाने वाले प्रपत्रो की सूची:-

1 प्रदिष्ट सम्पत्ति के निबन्धन हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क रू0- .... के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एवं रू0-................ का एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर विकय विलेख टंकित कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवंटी महिला होने पर उक्त स्टाम्प शुल्क में रू0 10000.00 की छूट दी जायेगी।
2 राजपत्रित अधिकारी से फोटो-हस्ताक्षर एवं पता प्रमाणित कराकर दो प्रतियो में तथा तीन पासपोर्ट साईज फोटो स्व प्रमाणित प्रस्तुत करें।
3 पंजीकरण हेतु जमा चालान की प्रति मूल रूप में प्रस्तुत करें।
4 रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर कब्जा हेतु शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें।
5 आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि की रसीद रजिस्ट्री से पूर्व जमा करनी होगी, तदनुसार आवंटन पत्र में अंकित जमा धनराशि का समायोजन किया जायेगा, जो मान्य होगा।
6 पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, फोटो पहचान पत्र आदि की प्रति स्वप्रमाणित प्रस्तुत करें।
7 रू0 .... का स्टाम्प पेपर जल मूल्य बाण्ड हेतु प्रस्तुत करें।
8 दिनांक .... तक देय धनराशियाँ (जमा की रसीदें) एवं उक्त प्रपत्र / औपचारिकताये को पूर्ण कर विलेख निष्पादन कराने का कष्ट करें अन्यथा दिनांक .... से रू0-............. प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

कब्जा पत्र हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले रू0-10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र का प्रारूप:-

शपथ पत्र

मैं (नाम) .... पुत्र /पत्नी / पुत्री श्री .... उम्र ....निवासी .... निम्न प्रकार शपथपूर्वक कहता हूँ:-

1 मेरे/मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा अवयस्क बच्चो के नाम कोई भूखण्ड/भवन पूर्णतया अंशतः गाजियाबाद नगर में नहीं है और उ0प्र0 के किसी और अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है।
2 मेरे / मेरी पत्नी / मेरे पति अथवा अवयस्क बच्चो के पास नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1979 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
3 मैं तथा मेरी पत्नी/मेरे पति एंव अव्यस्क बच्चों द्वारा उ0प्र0 नगरीय सीमा में केवल एक भवन/भूखण्ड के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती है।
4 समस्त धनराशि मेरे द्वारा जमा की गयी है, जमा राशि में विवाद की दशा में स्वंय उत्तरदयी रहूँगा/रहूँगी।
5 मेरी समस्त श्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष .... की वार्षिक आय, जिसमें मेरी/मेरे पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अवयस्क बच्चे सम्मिलित है कुल रू0- .... से अधिक नहीं थी।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मैं (नाम) .... घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेदन 1 से 4 तक वर्णित तथ्य मेरे / मेरी जानकारी में सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है

स्थान: .... दिनांक : ....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने वाले फोटोग्राफ का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि मैं (नाम) .... पुत्र /पत्नी / पुत्री श्री ....
निवासी .... को
भली भाँति जानता हूँ। इनके हस्ताक्षर एवं फोटो मेरे द्वारा प्रमाणित किये जाते है।

आवंटित सम्पत्ति संख्या- ....

नमूना हस्ताक्षर:-

(1)

(2)

(3)

फोटो

(नोट:-फोटो, हस्ताक्षर व पता प्रमाणित कर्ता राजपत्रित अधिकारी का नाम / सुपाठ्य / सील होना आवश्यक है।)